प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 27.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 27.05.2026 को थाना धर्मसिहंवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2026 धारा 64(1), 333, 351(3), 324(2),352,115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजकिशोर शुक्ला पुत्र स्व0 भवनाथ शुक्ला निवासी जमयाताल थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम जमयाताल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 02.04.2026 को थाना धर्मसिहंवा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय, का0 रणजीत यादव, का0 ओमवीर सिंह।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे 01 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. चतुर श्याम उर्फ राधेश्याम पुत्र तेरस प्रसाद निवासी धौरहरा 02. रामकेवल पुत्र सीता निवासी झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार तिवारी, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 उमेश यादवका0 अंगद यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 616 वाहनों से 7,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 27.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 616 वाहनों से 7,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालक का अपहरण करने के मामले में वाँछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 27.05.2026 को थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0स0 131/2026 धारा 137(2), 127(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता सीमा पत्नी कुलदीप राव निवासी लोहरौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 10.05.2026 को थाना बेलहरकला पर उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्र को अपहृत कर कही लेकर चले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री इन्द्रेश गौड़, महिला आरक्षी अंजूलता व रि0म0का0 अंजली तिवारी।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना दुधारा ***श्री अमित कुशवाहा*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता मो0 अली पुत्र अली अहमद निवासी उचहरा कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को बैरियहवा मोड़ पुलिया के पास से 01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर आज दिनाँक 27.05.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 अली पुत्र अली अहमद निवासी उचहरा कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0स0 223/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री सचिन्द्रनाथ राय, हे0का0 अरुण प्रजापति, हे0का0 दुर्गेश कुमार, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, का0 दीपनारायण शर्मा, का0 सुमित राय।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने व गाली, धमकी देने के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6,000रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 26.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री शिवपूजन पुत्र रामनयन निवासी धोबहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ने अभियुक्तगण 01. मो0 अशरफ पुत्र इब्राहिम 02. मो0 इब्राहिम पुत्र जैश मोहम्मद निवासीगण धोबहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के पुत्र को मारने पीटने व गाली गलौज, धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री संतराम यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 50/2014 धारा 323, 504, 506 भादवि जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण मो0 अशरफ, मो0 इब्राहिम उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये (कुल 6000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी करने के मामले में 02 अभियुक्तों जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 27.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री हाजी मुमताज पुत्र हाजी मो0 सुलेमान निवासी नेवारी थाना जहागीर गंज जनपद अम्बेडकरनगर की दुकान से अभियुक्तगण 01. हीरा लाल पुत्र धनरोज 02. श्याम बिहारी पुत्र बाबूलाल निवासीगण धवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा गमछा की चोरी की गयी थी। विवेचक उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 206/2002 धारा 379, 411 भादवि जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण हीरालाल, श्याम बिहारी उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये (कुल 6000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व कुल 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 27.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व कुल 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 84/2003 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश उर्फ नन्हे पुत्र भग्गल प्रसाद निवासी प्रसादपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष के कारावास व 25,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

□ *जनपद संतकबीरनगर, सराहनीय कार्य- ऑपरेशन कन्विक्शन* □

तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व कुल 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद संतकबीरनगर में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 27.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद संतकबीरनगर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व कुल 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 84/2003 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश उर्फ नन्हे पुत्र भग्गल प्रसाद निवासी प्रसादपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष के कारावास व 25,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

सादर
पुलिस अधीक्षक
जनपद संतकबीरनगर

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 27.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 18.05.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना दुधारा पर अभियुक्त संदीप उर्फ मुन्ना राय पुत्र शेषराम चौधरी निवासी कैथवलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री सुबाषचन्द्र द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 175/2018 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 354 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2500 रुपये के जुर्माना तथा धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2500 रुपये के जुर्माना (कुल 5000रु0) से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, उपरोक्त सजायें साथ साथ चलेंगी।

□ *जनपद संतकबीरनगर, सराहनीय कार्य- ऑपरेशन कन्विक्शन* □

तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 27.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त संदीप उर्फ मुन्ना राय पुत्र शेषराम चौधरी निवासी कैथवलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने के मामले में अन्तर्गत धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2500 रुपये के जुर्माना तथा धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2500 रुपये के जुर्माना (कुल 5000रु0) से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, उपरोक्त सजायें साथ साथ चलेंगी।

सादर
पुलिस अधीक्षक
जनपद संतकबीरनगर